तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज संजय कुमार बनाम भैराराम वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर 162/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व मे एकतरफा कार्यवाही के आदेश हो चुके है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुवे निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रोही चक 2 पीएलएम पटवार हल्का सहनीवाला के मु0नं0 229/35 के कि0नं0 4,5 तादादी 0.5058 हैक्टेयर कमांड कब्जे एवं दखल मे स्थित है। जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित रहवास कर उपरोक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि मे आने–जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि मे मु0नं0 229/42 के कि0नं0 2,9 मे स्वीकृत रास्ता से कि0नं0 12,19,20,21 मे से होता हुआ मु0नं0 229/34 के कि0नं0 25 से अपनी खातेदारी भूमि मु0नं0 229/35 के कि0नं0 5 मे आवागमन करता है मु0नं0 229/42 के कि0नं0 12,19,20,21 के प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जो पैतृक भूमि है तथा मु0नं0 229/34 के कि0नं025 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने का उपरोक्त रास्ता नजदीक एवं सुविधा जनक है इसके अलावा अन्य कोई सुविधा जनक रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त भूमि मे आने–जाने का रास्ता अप्राथी संख्या 1 के कि0नं0 25 मे से किया जा रहा है उक्त रास्ता आपका ही प्रार्थी उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रार्थी एवं प्रार्थी के मध्य मन मुटाव होने पर अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देता रहता है जबकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि आने जाने पशुधन व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रास्ता लेने का सवैधानिक अधिकार है। प्रार्थी ने दिनाक 10.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी खातेदारी भूमि मे से जाने के लिए रास्ता देने के लिए कहा तो अप्रार्थी ने कहा की मै रास्ता स्वीकृत नहीं करवाउगा अपको जो कार्यवाही करनी है करलो अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त रास्ता बन्द करने की धमकी दी तब प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का आधार पैदा हुआ जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत करना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की उपरोक्त भूमि मे रास्ता लेने का हकदार है जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी के पास उपरोक्त अप्राथी संख्या 1 की खातेदारी भूमि मु0नं0229/34 के कि0नं0 25 की दक्षिण दिशा की सींव पर पूर्व से पश्चिम दिशा की और चलने वाला रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधा जनक एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि चक 15 सीएचडी के मु0नं0 229/34 के कि0नं0 25 की दक्षिण दिशा की सींव पर चौडाई मे 5 मीटर व लम्बाई 10 मीटर का रास्ता पूर्व से दक्षिण दिशा मे स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी रास्ते की भूमि बदले अप्रार्थी संख्या 1 को नियमानुसार प्रतिकर राशि देने को तैयार है। अतः प्रार्थी वकील द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि चक 15 सीएचडी मु0नं0 229/34 के कि0नं0 25 की दक्षिण दिशा की सींव पर चौडाई मे 5 मीटर व लम्बाई 10 मीटर का रास्ता पूर्व से दक्षिण दिशा मे नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते के नाम स्वीकृत करने एवं राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का आदेश प्रदान हेतु निवेदन किया गया। राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी । मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट संलग्न नजरी नक्शा उक्त स्थान पर तीन अलग–अलग चक 15 सीएचडी, 1 पीएलएम एवं 2 पीएलएम की सीमा लगती है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी अपने पिता व अन्य पारिवारिक सदस्यो के नाम से दर्ज रकबा 229/42 के कि0नं0 21 से निकलकर मु0नं0 229/34 के कि0नं0 25 मे दक्षिणीसींव पर 2 मीटर चौडा एवं 10 मीटर लम्बा रकाबा मार्ग के रूप मे प्रयोग कर मु0नं0 229/35 के कि0नं0 5 मे प्रवेश चाहता है अप्रार्थी ने अपना चक दुसरा होने का तर्क देते हुए उक्त रिपोर्ट से असहमति जताई एवं हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी चक 15 सीएचडी,1 व 2 पीएलएम व आशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वाछित उक्त रास्ता प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि चक 2 पीएलएम पटवार हल्का सहनीवाला के मु0नं0 229/35 के कि0नं0 4,5 तादादी 0.5058 हैक्टेयर कमांड तक कृषि कार्य करने हेतु जाने हेतु उपयोगी है। प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु अपने खातेदारी कृषि भूमि तक पहुच हेतु प्रार्थी द्वारा वाछित रास्ता आवश्यक प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट संलग्न नजरी नक्शा प्रार्थी के खेत मु0नं0 229/35 के कि0नं0 4,5 तादादी 0.5058 हैक्टेयर कमांड तक जाने के लिए न्युनतम दूरी एवं सुविधाजनक रास्ता है। अतः प्रस्तुत बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	